



The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019

Act 13 of 2019

Keyword(s):

Appropriate Authorities, Aquifer, Bhoojal Sena, Bulk User, Commercial User, District Ground Water Management Council, Drilling Agency, Environment Flows, Pollution

Amendment appended: 7 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019

श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19

लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 जिससे लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू-गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और चूंकि भू-गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरुदण्ड है;

और चूंकि अतिशय भूगर्भ जल निष्कर्षण और भूगर्भ जल संदूषण के कारण गम्भीर भूगर्भ जल संकट विद्यमान है;

और चूंकि भूगर्भ जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समय की मांग है;

और चूंकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भूगर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और चूंकि भूगर्भ जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भूगर्भ जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और चूंकि जल ऐकिक प्रकृति का होता है जिसके लिए भू-पृष्ठ जल तथा भूगर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और चूंकि भूगर्भ जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप में एक सामूहिक संसाधन है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूगर्भ जल लोक न्यास सिद्धांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भूगर्भ जल निजी संपत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है जिनके कारण भूगर्भ जल की प्रारिथति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि भूगर्भ जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और चूंकि भूगर्भ जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भूगर्भ जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और चूंकि राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भूगर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

(4) इस अधिनियम के अधीन किए गए शास्तिक उपबंध, भूगर्भ जल के घरेलू और कृषि उपयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य नहीं होंगे।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

(क) 'समुचित प्राधिकरण' का तात्पर्य 'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति', 'विकास खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति', 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति', और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ख) 'जलभृत' का तात्पर्य खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तद्समान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त संरंध, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) 'भूजल सेना' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में भूगर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ) 'खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति से है;

(ङ) 'सामूहिक उपयोक्ता' का तात्पर्य किसी अधिष्ठान यथा होटलों/लाजों/निजी आवासीय भवनों/आवासीय कालोनियों/रिजाटों/निजी चिकित्सालयों/परिचर्या गृहों/कारबार प्रक्षेत्रों/मॉल्स/वांटर पार्कों सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से है जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करते हैं;

(च) 'केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड' का तात्पर्य केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरुज्जीवन, भारत सरकार से है;

(छ) 'वाणिज्यिक उपयोक्ता' का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था या किसी अभिकरण या किसी अधिष्ठान जो उक्त प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(ज) 'विकास प्राधिकरण' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिला विकास प्राधिकरण से है;

(झ) 'जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद' का तात्पर्य, धारा 6 के अधीन गठित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से है;

(ञ) 'वेधन अभिकरण' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ट) 'पर्यावरणीय प्रवाह' लोगों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाहों की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ठ) 'ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति से है;

(ड) 'भूगर्भ जल विभाग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भ जल विभाग से है;

(ढ) 'भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र' का तात्पर्य इस प्रकार के किसी क्षेत्र से है जहाँ भूगर्भ जल गुणवत्ता, भूजनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक-रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ण) 'भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट' खण्डों का अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्द्ध संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में श्रेणीकरण सहित भूगर्भ जल संसाधन खण्डवार निर्धारण के लिए भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भूगर्भ जल प्राक्कलन समिति की पद्धति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट को निर्दिष्ट करती है;

(त) 'भूगर्भ जल सुरक्षा योजना' का तात्पर्य उपलब्ध जल भूगर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भूगर्भीय रूप में संभाव्य है;

(थ) 'भूगर्भ जल' का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्हीं अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(द) 'उद्योग' का तात्पर्य किसी ऐसे कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी हैं;

(ध) 'अवसंरचनात्मक प्रयोक्ता' का तात्पर्य ऐसी किसी फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(न) 'नगर पालिका जल प्रबंधन समिति' का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित नगर पालिका जल प्रबंधन समिति से है;

(प) 'अधिसूचित क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति-दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(फ) 'पानी पंचायत' का तात्पर्य तालाबों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब स्तर पर गठित किसी व्यक्ति-समूह से है;

(ब) 'प्रदूषण' का तात्पर्य भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भूगर्भ जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भूगर्भ जल को लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(म) 'वर्षा जल संचयन' का तात्पर्य भूगर्भ जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जल विभाजक पैमाना पर वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(न) 'ग्रामीण क्षेत्रों' का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं;

(य) 'राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से है;

(क क) 'नगरीय क्षेत्रों' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायं, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(क ख) 'भूगर्भ जल उपयोक्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता, सामूहिक उपयोक्ता, कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा कूप से निकाले गये भूगर्भ जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(क ग) 'जल और स्वच्छता समिति' का तात्पर्य जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित किसी समिति से है;

(क घ) 'जल उपयोक्ता संगम' का तात्पर्य सिंचाई जल प्रणाली का प्रबंधन और अनुरक्षण करने के लिए नहर निकास स्तर पर गठित निर्वाचित लोगों के संगठन से है;

(क ङ) 'कूप' का तात्पर्य भूगर्भ जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगबेल, बोरबेल, डग कम बोरबेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भूगर्भ जल निष्कर्षण तथा भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है;

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

संस्थागत ढांचा

3-(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति का गठन किया जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन भूगर्भ जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने हेतु किसी खण्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नतम लोक इकाई होगी;

ग्राम पंचायत भूगर्भ
जल उप-समिति

(2) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को निदेश देगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) अध्यक्ष- ग्राम प्रधान;

(ख) सदस्य सचिव- ग्राम पंचायत सचिव;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में दो सदस्य, जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे;

(क) समस्त स्रोतों से सूचना एकत्र करना;

(ख) धारा 13 में यथा उपबंधित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय;

खण्ड पंचायत
भूगर्भ जल प्रबंधन
समिति

4-(1) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा जो खण्ड स्तर पर भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन हेतु एक सार्वजनिक इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष- खण्ड प्रमुख

(ख) सदस्य सचिव-खण्ड विकास अधिकारी(बी0डी0ओ0)

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) भूजल सेना/पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) खण्ड स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय ।

(4) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) यथा प्रतिपादित/विहित मार्ग दर्शनों के अनुसार प्रत्येक कम से कम दस ग्राम पंचायतों के समूह में तैयार की गयी, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को समेकित करके एक समग्र खण्ड स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना तैयार करना;

(ख) खण्ड पंचायत भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) सम्बंधित खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसाकि विहित किया जाय।

5-(1) एक नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, जो नगरीय क्षेत्रों में एकीकृत रूप में जल प्रबंधन हेतु निम्नतम लोक इकाई होगी; नगर पालिका जल प्रबंधन समिति

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को नगर पालिका जल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए निदेश जारी करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष-यथास्थिति नगर प्रमुख/नगर पालिका प्रमुख;

(ख) सदस्य सचिव-यथास्थिति नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी;

(ग) जल संसाधनों का स्थलीय ज्ञान रखने वाले लोक-प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) निवासी कल्याण संगम/सामाजिक समूह के दो सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) सम्बन्धित विभागों (भूगर्भ जल विभाग से एक प्रतिनिधि सहित) के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(4) नगर पालिका जल प्रबंधन समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) संबंधित नगर पालिका के भीतर सम्बंधित संस्थानों के साथ समन्वय में कार्य करना;

(ख) जल आपूर्ति के स्रोतों (भू-पृष्ठ जल और भूगर्भ जल) को अवधारित करना और उन्हें एकीकृत करना;

(ग) धारा 13 के अधीन उपबंधित समग्र नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना;

(घ) सम्बंधित नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 10 की उपधारा (2) और धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं के क्षेत्रों से भिन्न अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त कूपों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना, जैसा कि विहित किया जाय।

जिला भूगर्भ जल
प्रबंधन परिषद

6-(1) एक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का गठन करने के लिये निदेश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(क) अध्यक्ष—जिला मजिस्ट्रेट;

(ख) सदस्य सचिव—जिला विकास अधिकारी;

(ग) राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का 01 सदस्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) अन्य सदस्य भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग तथा वन और वन्य जीव विभाग के (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(च) संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में);

(3) सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पद्धति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार खण्ड पंचायत और नगर पालिका भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का जिला स्तरीय भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना;

(ग) जिला भूगर्भ जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करना और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वीकृत करना तथा वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय या समनुदेशित किया जाय;

(छ) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप-समितियों, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और नगर पालिका जल प्रबंधन समितियों और साथ ही साथ राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

7-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण

(2) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| 4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 5. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 6. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 7. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य |
| 8. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 9. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 11. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम | सदस्य |
| 12. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 13. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (उ0क्षे0) | सदस्य |
| 15. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 16. उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे) | सदस्य |
| 17. भूगर्भ जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति | सदस्य |
| 18. संबंधित खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि (आमंत्रित के रूप में) | सदस्य |

(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और रिकित्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाय;

(5) अध्यक्ष राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग का कार्यालय राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(6) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) धारा 26 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना;

(7) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद

(क) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कर्मियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है, जैसाकि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी, जैसाकि विहित किया जाय;

(ग) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) अन्य समुचित निकायों के लिए सहायता:-

ग्राम पंचायत उप-समिति/खण्ड पंचायत/नगर पालिका समिति और जिला परिषद को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सम्बंधी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

भूगर्भ जल विभाग
के कर्त्तव्य

8-(1) भूगर्भ जल विभाग, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित निकाय यथा नगरीय क्षेत्रों के मामले में नगर पालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) उक्त विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण हेतु प्राविधिक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(3) भूगर्भ जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण :

भूगर्भ जल विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा भूगर्भ जल विभाग और केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू-गर्भ जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहाँ भूगर्भ जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो अर्थात् पिछले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 20 सेमी० ह्रास अभिलिखित किया गया हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भूगर्भ जल के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/ नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) भूगर्भ जल सूचना/आकड़े:-अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध भूगर्भ जल सूचना/आकड़े भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय आकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों को उपलब्ध करायें जायेंगे। ऐसी सूचना भूगर्भ जल विभाग के वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय—चार
शक्तियां और कृत्य

9-(1) जहाँ (भूगर्भ जल विभाग की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/भूगर्भ जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भूगर्भ जल विभाग द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहाँ भूगर्भ जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुँच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पद्धतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसाकि विहित किया जाय, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे;

भूगर्भ जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ

परन्तु यह कि,—

(क) इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह से पूर्वतर दिनांक नहीं होगा;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले अन्यून तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और उसे यथा विहित अन्य रीति से भी तामील किया जायेगा;

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सीमांकन और तत्सम्बंधी अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसाकि विहित किया जाय;

(3) उप-धारा-(1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की नवीन भू-गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसाकि विहित किया जाय;

10-(1) विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का पंजीकरण अधिसूचित क्षेत्रों (नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों) में अवस्थित प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बंधित जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद् को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया, समय सीमा, प्रारूप, फीस आदि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसाकि विहित किया जाय;

अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

परन्तु यह कि,—

(क) जहाँ कोई विद्यमान वाणिज्यिक उपयोक्ता या सामूहिक उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय—आठ के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है वहाँ भूगर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा उक्त तथ्य को तत्काल संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा;

(ग) जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता हो वहाँ यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण से यथाविहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा;

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न प्रत्येक विद्यमान और भावी भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित है भूगर्भ जल उपयोग के लिए संबंधित खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति को ऑनलाइन या सीधे रजिस्ट्रीकृत करना होगा। ऑनलाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के संबंध में सूचना उक्त समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

11-(1) गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक कूप (विद्यमान या सिंक किया जाने वाला) भूगर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, फीस इत्यादि और अन्य उपबंध वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए;

परन्तु यह कि,-

(क) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय 8 के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा/होगी/होंगे;

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो भूगर्भ जल उपयोक्ता द्वारा तत्काल इस तथ्य को सम्बंधित जिलों के भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारक कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, किसी रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करना चाहता है तो यथास्थिति उसे या व्यक्ति समूह या किसी अभिकरण को तदनिमित्त सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से यथा विहित रीति से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपयोक्ताओं से भिन्न घरेलू या कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू-गर्भ जल उपयोक्ता को आन लाइन या सीधे सम्बंधित खण्ड पंचायत भू-गर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति से भू-गर्भ जल उपयोगों हेतु रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। आन लाइन सूचना हेतु वेब पोर्टल के सम्बंध में उक्त समिति द्वारा सूचित किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

12-(1) कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय सरकारी योजनाओं के अधीन बोरिंग/नलकूप निर्माण सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोग हेतु कोई नवीन कूप निर्मित/सिंक नहीं करेगा।

यदि कोई इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता/करती है तो वह अध्याय 8 के अधीन दण्ड का भागी होगा/होगी।

ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन भूगर्भ जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट के आधार पर या नगरीय भूगर्भ जल स्तरों में गिरावट होने की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण सुधार होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक/सामूहिक उपयोगों के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था या अभिकरणों द्वारा अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भूगर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और ऐसा कार्य किया जाना अध्याय-आठ के अधीन दण्डनीय होगा।

13—अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबद्ध क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएँगी।

अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाओं का तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

14—गैर अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल निकालने के प्रयोजनार्थ कोई कूप खोदने के इच्छुक किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या संस्था या अभिकरण या प्रतिष्ठान को इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, आवेदन, फीस इत्यादि और विभिन्न उपबन्ध, निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसाकि विहित किया जाय;

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल निकालने के प्राधिकार को स्वीकृत किया जाना

परन्तु यह कि भूगर्भ जल के पूर्व से विद्यमान उपयोक्ता को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर तदनिमित्त इस धारा के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन करना होगा;

परन्तु यह और कि,—

(क) निबंधन और शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु वे निम्नलिखित तक निबंधित नहीं होंगे;

(एक) जल की अधिकतम मात्रा जिसे निकालने की अनुज्ञा होगी;

(दो) विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण मानकों और उपायों के माध्यम से भूगर्भ जल संदूषण निवारण की सावधानियां;

(तीन) अपनाये जाने वाले वर्षा जल संचयन सहित संरक्षण उपायों का विवरण;

(चार) भूगर्भीय जल संभाव्यता के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण के उपाय;

(पाँच) उपयोगार्थ निकाले गये भूगर्भ जल का किसी विहित अनुपात में पुनः उपयोग करना;

(छः) अपशिष्ट जल को बहाने से पूर्व उसे विहित मानकों तक लाने के लिए उसका शोधन करना;

(सात) सर्वाधिक दक्ष जल उपयोग पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा उसके अनुसार चलना;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रदान किये गये प्राधिकार/ अनापत्ति का प्रयोग, प्रदान किये गये प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा;

(ग) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को, प्राधिकार के अधीन निकाले गये भूगर्भ जल का वाणिज्यिक प्रयोग और/या लाभ के लिए, किसी अन्य को किसी भी नाम से या प्रारूप में विक्रय करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा;

(घ) वांछित प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने हेतु प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे नये उपयोक्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कूप का निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् यथाविधि विहित रीति से सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) (एक) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर सकती है;

परन्तु यह कि सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक को उक्त प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी;

(दो) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र असंक्राम्य होगा। तथापि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र, उसका/उसकी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जायेगा और उक्त प्रमाण-पत्र शेष अवधि के लिए तब तक निरन्तर विधिमान्य रहेगा जब तक कि विधिक उत्तराधिकारी ऐसे मृत प्रमाण-पत्र धारक द्वारा कृत किया-कलापों को जारी रखते हैं। तथापि ऐसी प्रसुविधा जिसके लिए उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किये जाने पर प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये स्वामी द्वारा किया-कलाप की प्रकृति अपरिवर्तित रूप में जारी रखी जाती है।

(तीन) प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में नियत अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा;

(चार) जहाँ प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो गयी हो वहाँ ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को तत्सम्बंधी निरन्तरता के लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।

वाणिज्यिक,
औद्योगिक
अवसंरचनात्मक या
सामूहिक भूगर्भ
जल उपयोक्ताओं
हेतु भूगर्भ जल
निकालने की सीमा
नियत किया जाना

15-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, भूगर्भ जल विभाग के परामर्श से (सम्बंधित क्षेत्र के भूगर्भ जलीय शर्तों तथा संसाधन संभाव्यता पर आधारित) अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण जारी करने के दौरान विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कूप हेतु रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के दौरान समस्त नवीन वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं हेतु भूगर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करके भूगर्भ जल नहीं निकाल सकता है।

भूगर्भ जल
निकालने/खींचने
पर फीस

16-(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोक्ता कहा गया है, भूगर्भ जल खींचने की मात्रा के आधार पर वार्षिक रूप में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का भुगतान किये बिना दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल नहीं निकालेगा। फीस यथाविहित रूप में जमा की जायेगी;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भूगर्भ जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोक्ता को ऐसे मानको का मीटर ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसाकि विहित किया जाय और यह मान लिया जायेगा कि मीटर द्वारा अभिलिखित की गयी मात्रा में उक्त उपयोक्ता द्वारा भूगर्भ जल निकासी की गयी है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय। निकालने हेतु अनुज्ञात/प्राधिकृत भूगर्भ जल की मात्रा के सापेक्ष वास्तविक रूप में निकाले गये जल की जाँच करने हेतु एक वार्षिक भूगर्भ जल लेखा परीक्षा संचालित की जायेगी।

बेधन अभिकरणों
का रजिस्ट्रीकरण

17-(1) सम्बंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमें लगेगा।

(2) भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि बेधन में पहले से ही लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कंपनी को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करना होगा जैसाकि उक्त परिषद द्वारा अपेक्षा की जाय।

18-अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकरण की शक्ति वही होगी जैसाकि विहित की जाय।

किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता के लिए अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण की शक्तियाँ

19-धारा 14 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसाकि विहित किया जाय।

आदेशों आदि का तामील किया जाना

20-किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए राज्य सरकार या किसी समुचित प्राधिकरण से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

21-राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उसके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग/समस्त कर्तव्यों/किसी कर्तव्य का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो में जैसाकि उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस निमित्त राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति तथा समुचित निकाय द्वारा भी किया जा सकता है।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

22-राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे

23-इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित प्राधिकरण, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

अध्याय-पांच

भूगर्भ जल का प्रदूषण-निवारण

24-(1) भूगर्भ जल विभाग, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद और विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, जिनकी भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने और पेयजल आपूर्ति हेतु सुरक्षित गुणवत्तापरक परिक्षेत्रों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल की गुणवत्ता खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित पायी गयी है, की (ऊर्ध्व एवं पार्श्व रूप में) पहचान एवं सीमांकन करेगा;

भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षेत्रों का सीमांकन तथा संरक्षण

(2) उपधारा (1) में यथा सीमांकित क्षेत्र, भूगर्भ जल प्रदूषण निवारण एवं रोकथाम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सरकार के भूगर्भ जल विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किये जायेंगे।

भूगर्भ जल प्रदूषण/
संदूषण से सम्बन्धित
सूचना संग्रहण

25—ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियों, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों और नगरपालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों प्रदूषण स्रोतों सहित भूगर्भ जल प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ऐसी सूचना सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के स्तर पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को समुचित कार्यवाही हेतु अग्रतर प्रस्तुत किये जाने के लिए संकलित तथा समेकित की जायेगी।

भूगर्भ जल प्रदूषण
नियंत्रण के उपाय

26—(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता भूगर्भ जल प्रदूषित नहीं करेगा। वह सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से जहां कहीं आवश्यक हो यथा विहित रूप में अनिवार्य रूप से शोधन संयंत्र स्थापित कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसा भूगर्भ जल उपयोक्ता, विहित अवधि के भीतर शोधन संयंत्र स्थापित करने में विफल हो जाय वहां राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे उपयोक्ता के लागत पर आवश्यक शोधन संयंत्र निर्मित करवाये और धारा 39 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन ऐसे उपयोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

जल-भूतों में
प्रदूषक पदार्थों
आदि का
निस्तारण करने
हेतु कूप के
उपयोग पर
प्रतिषेध

27—(1) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता, किसी संक्रिया या प्रसंस्करण या शोधन तथा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से—

(क) अपशिष्ट जल, मल, व्यापारिक तथा घरेलू वहिःस्राव या संदूषक पदार्थों का निस्तारण या निस्तारण कूप में नहीं करेगा या;

(ख) भूमि पर अपशिष्ट का ढेर नहीं लगायेगा जो घुलकर जलभृत में बह सकता है, या जिसके कारण संदूषक पदार्थ चूकर उसमें फैल सकते हैं तथा उसमें विषैले जीव उत्पन्न हो सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई भूगर्भ जल उपयोक्ता, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

खुले क्षेत्रों से
जलभृतों में सीधे
पुनर्भरण पर
प्रतिबंध

28—(1) खुली भूमि, मैदान, सडकों (पक्की/कच्ची) कृषि फार्मों पर गिरने वाले (छत के ऊपर के सिवाय) वर्षा जल से भूगर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण किए जाने की प्रक्रिया में जलभृतों में पुनर्भरण, बोरवेल, पुनर्भरण कूपक अन्तःक्षेपण कूप आदि के माध्यम से सीधे पुनर्भरण किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

उप धारा (1) के उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा।

तालाबों, नदियों,
कूपों आदि के
प्रदूषण पर प्रतिषेध

29—(1) समुचित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोक्ता, दूषित जल या किसी अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ का निस्तारण या निस्तारण करके तालाबों, नदियों, कूपों आदि को प्रदूषित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के ऐसे समस्त उपाय करने होंगे कि घरेलू गृहस्थी के किसी अपशिष्ट से तालाब, नदियों, कूप आदि प्रदूषित न हों।

अध्याय— छः

स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल पुनर्भरण, पुनः उपयोग तथा पुनः प्रयोग और जल भराव निवारण

स्वतः विनियमन

30—(1) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक स्वतः विनियमन की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए संबन्धित ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समितियों और खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समितियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) स्वतः विनियमन ग्रहण करने की प्रक्रिया :-

संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित रीति से स्वतः विनियमन की प्रक्रिया ग्रहण की जाएगी:-

(क) कृषक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों हेतु वैज्ञानिक रूप से संस्तुत सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सिंचाई जल मात्रा/फसल सिंचाई संख्या का प्रयोग करते हुए भूगर्भ जल दुर्व्ययन तथा अति सिंचन से बचा जा सकता है;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों(ग्रामीण) के कृषक कृषि बंधों, कृषि तालाबों, अल्प जल फसल बीजों के प्रयोग और प्रक्षेप तथा फुहारा सिंचाई प्रणाली के प्रयोग सहित विभिन्न जल संरक्षण/जल बचत पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे;

(ग) दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भूगर्भ जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल दुर्व्यय को रोकने, पुनः उपयोग किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पद्धतियों को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

31-(1) समुचित प्राधिकरण, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए। समुचित प्राधिकरण, संकटग्रस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में विभिन्न भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को संवेदनशील बनाएंगे। भूगर्भ जल उपयोक्ता समुचित प्राधिकरणों से वर्षा जल-संचयन प्रणाली का उपयुक्त प्राविधिक रेखा चित्र तथा अभिकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें विकास परख योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के एकीकरण तथा उनमें परिवर्तन के माध्यम से अपनी अधिकारिता के भीतर वर्षा जल-संसाधनों के संवर्धन हेतु एकीकृत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, उपयोग तथा विनियमन के लिए समस्त संभावित कदम उठाने होंगे।

वर्षा जल संचयन,
भूगर्भ जल
पुनर्भरण तथा
जलागम संरक्षण

(2) तत्समय प्रवृत्त राज्य की अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नगर पालिका जल प्रबंधन समिति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सम्यक रूप से जारी छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उपबंध करने की विद्यमान भवन उप विधियों के अधीन निर्धारित शर्तें अधिरोपित करेंगी। ऐसे निर्धारण, भवन योजनाएं अनुमोदित करने वाले या स्वीकृत करने वाले संबंधित सरकारी अभिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। सामूहिक आवास/ कॉलोनियों हेतु सम्मिलित पुनर्भरण प्रणाली का उपबंध किया जाना भी भवन उप विधियों के अधीन अनिवार्य होगा।

(3) जलागम संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र के भू-भाग/मिट्टी की दशा की प्रकृति पर आधारित समुचित भूगर्भ जल संरक्षण तथा पुनर्भरण संरचनाएं सम्मिलित हैं।

32-समुचित प्राधिकरण अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपेय नगरीय औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग हेतु और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रयोग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु जल का पुनः उपयोग किए जाने तथा विशिष्ट रूप से पोषणीय जल का पुनः प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे;

भूगर्भ जल का
पुनः उपयोग तथा
पुनः प्रयोग

परंतु यह कि अवधारित सीमा से अधिक भूगर्भ जल निकालने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा सामूहिक उपयोक्ता को ऐसे प्रयोजनों, जो उपयुक्त हों, के लिए जल का पुनः उपयोग करने के लिए आदेशित किया जाएगा। समुचित प्राधिकरण ऐसे आदेशों को प्रवर्तित करने के लिए अनुश्रवणकारी तथा प्रोत्साहनकारी तंत्र अभिकल्पित करेंगे।

जल भराव
निवारण तथा
न्यूनकरण

33-(1) समुचित प्राधिकरण, अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों को हतोत्साहित तथा उनकी रोकथाम करेंगे जिनके कारण भू-जलभराव होना संभाव्य हो। ऐसे निकाय जलभराव के विरुद्ध भू-संरक्षण हेतु समस्त संभावित नियामक उपाय करेंगे;

(2) नहर समादेशों में सिंचाई विभाग को उप-भू-पृष्ठ जलप्लावित स्थितियों में प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए समुचित उपाय करना होगा तथा उपबंध करना होगा;

(3) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उपसमिति, खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति जलप्लावित क्षेत्रों में ऐसे क्रिया-कलापों, जिनके कारण जलभराव की स्थिति बिगड़ सकती है, का विनियमन करने के लिए ऐसी नियम/शर्तें अधिरोपित कर सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए। खंड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगरपालिका जल प्रबंधन समिति, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों तथा संबंधित विभागों के परामर्श से भू-शोधन तथा भू-जल निकास से संबंधित समुचित मध्यक्षेपों के माध्यम से यथा विहित रीति से जलभराव को कम करने का उपाय करेगी;

(4) जलभराव न्यूनकरण के उपाय, विशेषज्ञ निकायों/संबंधित विभागों के सम्यक परामर्श से समुचित प्रसंस्करणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे।

नदियों, तालाबों,
कूपों आदि का
पुनरुज्जीवन और
जीर्णोद्धार

34-समुचित प्राधिकरणों को प्रत्येक ग्राम में नदियों, तालाबों, कूपों आदि के पुनरुज्जीवन और जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना होगा। समुचित प्राधिकरणों को ऐसी नदियों, तालाबों, कूपों आदि को संरक्षित करने हेतु दक्ष योजनाओं को विकसित और क्रियान्वित करना होगा।

अध्याय-सात

प्रभावपूर्ण निर्धारण तथा पारदर्शिता

प्रभावपूर्ण निर्धारण

35-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित प्राधिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के दोनों सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं का प्रभावपूर्ण निर्धारण करने का उपक्रम करें;

(2) प्रभावपूर्ण निर्धारण की प्रक्रिया में अल्पकालिक तथा संचयी प्रभावपूर्ण निर्धारण सम्मिलित होगा जो विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है:-

(क) जीवन जलाधिकार पर प्रभाव;

(ख) पेय जल संसाधनों पर प्रभाव;

(ग) भूगर्भ जल गुणवत्ता तथा परिमाण पर प्रभाव;

(घ) कृषि उत्पादन पर प्रभाव;

(ङ) नदियों तथा जल पिंडों सहित पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव;

(च) भू-उपयोग पर प्रभाव;

पारदर्शिता प्रणाली

36-(1) समुचित प्राधिकरणों का अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत यह कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों के साथ प्रभावी तथा मित्रतापूर्ण पारदर्शिता स्थापित करें;

(2) सूचना की न्यूनतम विषयवस्तु, आवर्तन तथा अन्य विवरण सतर्कतापूर्वक प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) किसी जिला के भीतर सूचना हेतु समस्त अनुरोधों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

सतर्क प्रकटीकरण
से सम्बन्धित
कर्तव्य

37-(1) समुचित प्राधिकरण अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में सतर्कतापूर्वक सूचना का प्रकटीकरण करेंगे;

(2) समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिलेखों का प्रसार इस रीति से करें कि कोई भी व्यक्ति सूचना को सुगमतापूर्वक समझ सके। इस दायित्व में सूचना का समेकित तथा संक्षिप्त रूप में प्रसार करना भी सम्मिलित है।

38—इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन ग्रहीत क्रियाकलापों का प्रभावपूर्ण निर्धारण किए जाने पर तत्संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी

अध्याय—आठ

अपराध और शास्तियां

39—(1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता या कोई वेधन अभिकरण—

अपराध और शास्तियां

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनायीं गयी किसी नियमावली के किसी उपबंध, अध्याय पांच में वर्णित उपबंधों के सिवाय का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित प्राधिकरणों या राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो छःमाह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, के साथ या प्रथम अपराध के मामले में दोनों के साथ दंडित किया जाएगा;

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोक्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो उक्त उपखण्ड के अधीन उसे अधिनिर्णीत किए गए कारावास के अतिरिक्त, उसे अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की धनराशि का दोगुना होगा, के साथ दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन उसे स्वीकृत किया गया प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

(2) कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2), धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के अधीन उपबंधित किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, निम्नलिखित दण्ड का भागी होगा:—

(क) ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो प्रथम अपराध के मामले में दस लाख रुपये तक हो सकता है;

(ख) ऐसी अवधि का कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो बीस लाख रुपये तक हो सकता है, यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट उक्त अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो पहले ही उक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो;

(3) कोई जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल हो, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा;

(4) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए इस अधिनियम के अधीन किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी रेखा चित्र अभिकल्प और मार्गदर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु उत्तरदायी हो ऐसा करने में विफल हो तो वह ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड के साथ दण्डित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

कंपनियों द्वारा
अपराध

40-(1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो या उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ हो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी, का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य संगम या व्यक्ति भी है और

(2) किसी फर्म के संबंध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में किसी भागीदार से है।

अपराधों का प्रशमन

41-(1) धारा (39) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिए विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात, किया जा सकता है;

परंतु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन किसी अपराध का प्रशमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा;

(3) किसी अपराध के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय;

(4) जहां किसी अपराध के प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां ऐसे अपराधी, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध प्रशमित किया जाय, के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग नहीं संस्थित किया जाएगा;

(5) जहां किसी अपराध का प्रशमन, कोई अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां ऐसा प्रशमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें अभियोग लम्बित हो और अपराध प्रशमन का इस प्रकार संज्ञान लिए जाने पर उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार प्रशमन किया जाय, को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

42-(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे और किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे;

(2) जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद या किसी क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है;

परन्तु यह की अभियोग का पहल करने के पूर्व क्षुब्ध व्यक्ति को अभियोग का पहल करने के लिए अपने आशय से अवगत कराते हुए जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद को एक माह की नोटिस देनी होगी।

अध्याय-नौ

शिकायत निवारण

43-(1) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी

(2) कोई भी व्यक्ति भूगर्भ जल के प्रबंधन, संरक्षण, निष्कर्षण और प्रदूषण से संबंधित बिन्दुओं पर अपना/अपनी शिकायत, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपना/अपनी शिकायत राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन तथा विनियमन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है/सकती है।

44-(1) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 41 की उप धारा (2) में उल्लिखित समस्त शिकायतों की अधिकारिता होगी;

भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी की अधिकारिता और उसकी शक्तियां

(2) शिकायतें, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष यथाविहित रीति से प्रस्तुत की जाएगी;

(3) जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, किसी अनुवर्ती समय जो तीस दिन से अधिक नहीं होगा, में शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भू-गर्भ जल उप समिति/खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति/नगर पालिका जल प्रबंधन समिति या जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से समुचित कार्रवाही करेगा;

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

45-राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप-विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

समुचित प्राधिकरणों से सूचना मांगने की शक्ति

46-(1) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद इस अधिनियम के उपबंध के अधीन किसी ऐसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भू-गर्भ जल उपयोक्ता और किसी विद्यमान अभिकरण जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके कूप सिंक किया हो या कर रहा हो या जिसने जल निकाला हो या निकाल रहा हो से लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अन्यून पन्द्रह दिन की समयवाधि के अंतर्गत इस प्रकार जल का निकाला जाना बंद करे और कब्जाधीन कूप के स्वामी या व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह कूप को अपने व्यय पर और ऐसी रीति से जैसा कि उक्त परिषद ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, उसको बंद या मुहर बंद कर दे;

अधिनियम का उल्लंघन करके खोदे गये कूपों को हटाने की समुचित प्राधिकरणों की शक्तियां

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई हो नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस प्रकार कूप खुदाई बंद नहीं करता है या बंद करता है किंतु समुचित प्राधिकरण के समाधान प्रद रूप में कूप बंद या मुहरबंद नहीं करता है तो (सम्बंधित) परिषद भूमि में प्रवेश करके उक्त कूप को बंद या मुहरबंद कर सकती है;

(3) उपधारा (2) के अधीन (सम्बन्धित) परिषद द्वारा उपगत लागत की वसूली, उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए गए व्यक्ति से, भू-राजस्व बकाया के रूप में की जा सकती है।

पूर्व विद्यमान
अधिकार

47-(1) भू-गर्भ जल उपयोक्ता के पूर्व-विद्यमान अधिकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे;

(2) भू-गर्भ जल उपयोक्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भू-गर्भ जल निधि

48-राज्य सरकार, भू-गर्भ जल निधि नामक एक निधि सृजित करेगी और शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भू-गर्भ जल निकालने की फीस आदि की समस्त लेखा-प्राप्तियाँ, इस निधि में जमा की जाएगी। निधि का संचालन निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा। निधि का उपयोग, राज्य में भू-गर्भ जल प्रबंधन क्रिया-कलापों यथा भू-गर्भ जल संरक्षण के लिए मांग पक्ष के मध्यक्षों को प्रोत्साहित करने हेतु और राज्य सरकार तथा भू-गर्भ जल विभाग द्वारा विनिश्चित किए गए प्रभावी अनुश्रवण युक्तियों/तंत्रों द्वारा भू-गर्भ जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने हेतु दोनों मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति

49-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर
करने की शक्ति

50-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

किसी उपयोक्ता/
वादों को छूट प्रदान
करने की राज्य
सरकार की शक्तियाँ

51-राज्य के समग्र विकास के हित में राज्य सरकार, राज्य भू-गर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है।

अन्य विधियों पर
इस अधिनियम का
प्रभाव

52-तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

उद्देश्य और कारण

भू-गर्भ जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल का एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आजीविका का प्रधान आधार है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि भू-गर्भ जल के अनियन्त्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्तरों में गिरावट और भू-गर्भ जल जलाशयों में ह्रास होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

राज्य में गम्भीर भू-गर्भ जल संकट और भू-गर्भ जल संदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1468(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-14-19

Dated Lucknow, August 7, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoo-Garbh Jal (Prabandhan Aur Vinnyaman) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Laghu Sichai Evam Bhoo-Garbh Jal Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH GROUND WATER
(MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2019

(U.P. Act no. 13 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management in the State, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas, and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in many parts of the State, both in rural and urban areas;

AND WHEREAS groundwater, being the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses, is the backbone of drinking water, food and livelihood security in rural and urban areas;

AND WHEREAS a serious groundwater crisis prevails due to excessive overdraft and groundwater contamination;

AND WHEREAS development of ground water is the need of the State, its management, control and regulation specially in over-exploited and critical areas is also the need of the hour for protection and preservation of this precious resource;

AND WHEREAS it is also expedient to provide for conservation, protection and development of ground water resources for the purpose of proper augmentation/recharge of ground water in stressed areas and to prevent ground water pollution by maintaining or restoring wholesomeness of ground water quality thereof in the State;

AND WHEREAS the equitable and environmentally sound regulation of groundwater can contribute to tackling some of the most important challenges of our times, including climate change;

AND WHEREAS water is unitary in nature, requiring the integration of surface water and groundwater, has integral links to land and vegetation and has an intricate relationship with rainwater (through natural recharge);

AND WHEREAS groundwater in its natural state is a common pool resource and the Supreme Court of India has applied the public trust doctrine to groundwater, in recognition that private property rights in groundwater are inappropriate given the emerging status, conflicts and dynamics of groundwater;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that it is expedient and necessary in the public interest to manage and regulate the extraction and use of ground water judiciously in any form and also to conserve and protect ground water in the stressed areas of the State and that shall be accorded the highest priority in both planning and management;

AND WHEREAS a new legal framework (with norms, principles, procedures and institutions suitable to address contemporary and imminent challenges) is required to ensure the qualitative and quantitative sustainability of groundwater resources and equity in groundwater use;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that in the public interest the first right to use of ground water would be for drinking, domestic and cattle use.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint and different dates for different areas may be appointed.

(4) Penal provisions made under this Act shall not be applicable on domestic and agricultural users of ground water.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **'Appropriate Authorities'** means 'Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee'; 'Block Panchayat Ground Water Management Committee'; 'Municipal Water Management Committee' and the 'District Ground Water Management Council';

(b) **'Aquifer'** means an underground layer of geological formation, group of formations or part of a formation, comprising fractured rocks, sand, gravel and like sediments, that is sufficiently porous, permeable and saturated with water and that transmits/accepts and yields significant quantity of water to a well or spring;

(c) **'Bhoojal Sena'** means group of persons constituted in every district of Uttar Pradesh for carrying out ground water awareness programs;

(d) **'Block Panchayat Ground Water Management Committee'** means the Block Panchayat Ground Water Management Committee constituted under section 4;

(e) **'Bulk User'** means a person or a group of persons including any establishment such as hotels/lodges/private residential buildings/housing colonies/resorts/private hospitals/nursing homes/ business complexes/malls/water parks, which extract and use ground water for the purpose of his or her or their operational water needs;

(f) **'Central Ground Water Board'** means the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India;

(g) **'Commercial user'** means a person or a group of persons including any institution or any agency or any establishment who or which extract and use ground water for the purpose which directly or indirectly benefits his/her or their business or trade to make financial gain or profit;

(h) **'Development Authority'** means a District Development Authority in the State of Uttar Pradesh;

(i) **'District Ground Water Management Council'** means the District Ground Water Management Council constituted under section 6;

(j) **'Drilling Agency'** means an establishment, owned by a person or a class of persons or an institution, who or which is involved as a part of trade thereof drilling wells/tube wells for extracting and use of ground water for any purpose such as domestic/drinking/commercial/industrial/bulk/ infra-structure use;

(k) **'Environmental flows'** refer to the quality, quantity, and timing of water flows required to maintain the components, functions, processes, and resilience of aquatic ecosystems that provide goods and services to people;

(l) **'Gram Panchayat Ground Water Sub Committee'** means the Gram Panchayat Ground Water Sub Committee constituted under section 3;

(m) **'Ground Water Department'** means the Ground Water Department of the Government of Uttar Pradesh;

(n) **'Ground Water Quality Sensitive Zone'** means such an area where quality of ground water is affected with high levels/excessive concentration of chemical elements, physiochemical constituents, heavy metals and bacteriological contamination, resulted due to geogenic or anthropogenic causes;

(o) **'Ground Water Resource Estimation Report'** refers to the latest approved report, based on the Ground Water Estimation Committee methodology, prepared by the Ground Water Department, Uttar Pradesh and Central Ground Water Board for block-wise assessment of groundwater resources including categorization of blocks into over-exploited, critical, semi-critical and safe categories;

(p) **'Ground Water Security Plan'** means a plan to be progressively based on available hydrogeological informations and shall include such measures/interventions which are area-specific and hydrogeologically feasible;

(q) **'Ground Water'** means the water occurring in its natural state below the ground surface in the zone of saturation and that can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(r) **'Industry'** means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, carried out with a motive to make any gain or profit, and includes any calling service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workman or any systematic activity carried on by co-operation between an employer and his workman (whether such workman are employed by such employer directly or by or through any agency including a contractor) for the production of goods;

(s) **'Infrastructural User'** means a person or a group of persons including a firm or any company, who or which extract and use ground water for the purpose of carrying out such activities/projects which are directly related to infrastructural development;

(t) **'Municipal Water Management Committee'** means the Municipal Water Management Committee constituted under section 5;

(u) **'Notified area'** means the area notified as such under section 9 which includes Over-exploited, Critical blocks and Stressed Urban Areas;

(v) **'Pani Panchayat'** means a group of persons constituted at pond level for maintenance and conservation of ponds;

(w) **'Pollution'** means such contamination of ground water or surface water or such alteration of the physical, chemical or biological properties of water or such discharge of any sewage, Plastic, Thermocol or trade effluent or of any other liquid, gaseous or solid

substance into ground water (whether directly or indirectly) as may, or is likely to, create a nuisance or render such ground water harmful or injurious to public health or safety, or to domestic, commercial, industrial, agricultural or other legitimate uses, or to the life and health of animals or plants or of aquatic organisms;

(x) 'Rainwater harvesting' means the technique or system of collection and storage of rainwater, at micro watershed scale, including roof-top harvesting, for storage or for recharge of groundwater;

(y) 'Rural Areas' means those areas which are not classified as Urban Areas;

(z) 'State Ground Water Management and Regulatory Authority' means the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority established under section 7;

(aa) 'Urban Areas' means the areas notified by a development authority or a municipality or a regulatory body as the case may be, excluding such areas/lands as are classified for agriculture use in the master plan of a development authority or a municipality or a regulated area;

(ab) 'User of ground water' means a person or a class of persons or an institution who or which own or use or sell ground water for any purpose including domestic use made either on personal or community basis and includes an industry, a commercial user, a bulk user, a company or an establishment whether government or not but does not include a person or a class of persons or an institution who or which use ground water drawn from well by manual or animal devices such as hand pump, rope and bucket, Persian wheel etc.;

(ac) 'Water and Sanitation Committee' means a committee constituted in each gram panchayat for planning, monitoring, implementation and maintenance of water and sanitation schemes;

(ad) 'Water User Association' means an organization of elected people constituted at canal outlet level for managing and maintaining irrigation water system;

(ae) 'Well' means a structure sunk for the search or extraction or recharge of groundwater and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum bore well, tube well, infiltration gallery, recharge well or any of their combination or variation, which, could be utilized for extraction of ground water, recharge ground water.

(2) Words and expressions used but not defined herein and defined in any law for the time being in force shall have the same meaning respectively assigned to them in the respective laws.

CHAPTER - II INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Gram Panchayat
Ground Water Sub-
Committee

3. (1) There shall be constituted a Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee in every Gram Panchayat, which shall be the lowest public unit in rural areas within a block to protect and manage groundwater resources under this Act.

(2) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - Gram Pradhan;

(b) the Member Secretary - Gram Panchayat Secretary;

(c) three Members as representative of Gram Panchayat, having field knowledge of water resources to be nominated by the Block Development Officer;

(d) two Members of Bhoojal Sena/Pani Panchayat/Water User Association/Water and Sanitation Committee to be nominated by the Block Development Officer;

(e) two Members as representative from concerned departments working at Block Level to be nominated by the Block Development Officer.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee shall be,-

(a) to collect information from all sources;

(b) to prepare the Gram Panchayat Ground Water Security Plan as provided under section 13;

(c) to carry out such other functions, as may be prescribed.

4. (1) There shall be constituted a Block Panchayat Ground Water Management Committee, which shall be a public unit at block level for overall management of ground water;

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Block Panchayat Ground Water Management Committee, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - Block Pramukh;

(b) the Member Secretary - Block Development Officer (BDO);

(c) three Members as representative of Gram Panchayat, having field knowledge of water resources to be nominated by the District Magistrate;

(d) two Members of Bhoojal Sena/Pani Panchayat/Water User Association/Water and Sanitation Committee, to be nominated by the District Magistrate;

(e) two Members as representative from concerned departments working at Block Level to be nominated by the District Magistrate.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Block Panchayat Ground Water Management Committee shall be,-

(a) to prepare an overall Block Level Ground Water Security Plan by consolidating Gram Panchayat Ground Water Security Plans, each prepared in cluster of at least ten number gram panchayats, according to the guidelines as may be formulated/prescribed;

(b) to monitor the implementation of Block Panchayat Ground Water Security Plan;

(c) to register all the wells within the notified and non-notified areas other than those of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users as per the provisions of sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 11 within the territorial jurisdiction of respective block;

(d) to carry out such other functions, as may be prescribed.

5. (1) There shall be constituted a Municipal Water Management Committee, which shall be the lowest public unit for managing water in urban areas in an integrated manner.

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of District Ground Water Management Council, issue direction to the District Ground Water Management Council for constituting the Municipal Water Management Committee, which shall consist of,-

Block Panchayat
Ground Water
Management
Committee

Municipal Water
Management
Committee

(a) the Chairperson - Nagar Pramukh/Nagar Palika Pramukh, as the case may be;

(b) the Member Secretary - Nagar Ayukt or Executive Officer, as the case may be;

(c) two Members as representative of Public, having field knowledge of water resources to be nominated by the District Magistrate;

(d) two Members of Resident Welfare Association/Social Group to be nominated by the District Magistrate.

(e) three Members as representative from concerned departments (including one from Ground Water Department) to be nominated by the District Magistrate.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the Municipal Water Management Committee shall be,-

(a) to work in co-ordination with water related institutions within the respective municipality;

(b) to determine the sources of water supply (surface water and ground water) and integrate them;

(c) to prepare an overall Municipal Ground Water Security Plans provided under section 13;

(d) to register all the wells within the notified and non-notified areas other than those of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users as per the provisions of sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 11, within the territorial jurisdiction of respective municipality;

(e) to monitor the implementation of Municipal Ground Water Security Plan;

(f) to carry out such other functions, as may be prescribed.

District Ground
Water Management
Council

6. (1) There shall be constituted a District Ground Water Management Council, which shall be an overall unit for management of ground water resources at district level.

(2) The State Government shall, by notification in the Gazette, within three months of the constitution of State Ground Water Management and Regulatory Authority, issue direction to the State Ground Water Management and Regulatory Authority for constituting the District Ground Water Management Council, which shall consist of,-

(a) the Chairperson - District Magistrate;

(b) the Member Secretary - District Development Officer;

(c) one Member as subject Expert having longstanding working experience in the field of ground water management in the State, to be nominated by the District Magistrate;

(d) one Member from the public/Non-Government Organization/social sector having experience in the field of ground water to be nominated by the District Magistrate;

(e) other Members shall be the district level representatives (one each) from Ground Water Department, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agriculture Department, Minor Irrigation Department, Uttar Pradesh Jal Nigam, Local Body, Development Authority, Irrigation and Water Resources Department, Industries Department, Horticulture Department and Forest and Wild Life Department;

(f) one representative (as invitee) each from the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee and Municipal Ground Water Management Committee.

(3) The terms and conditions of the service of the Members shall be such as may be prescribed.

(4) The functions of the District Ground Water Management Council shall be,-

(a) to consolidate Block Panchayat and Municipal Ground Water Security Plan into District level Ground Water Security Plan, based on macro-watershed approach and as per the guidelines as may be prescribed;

(b) implementation of District Ground Water Security Plan;

(c) to monitor the implementation of District Ground Water Security Plan;

(d) to conduct water awareness programmes;

(e) to register all existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users in notified and non-notified areas and grant of authorization certificate/ No-objection certificate for ground water abstraction in non-notified areas and registration of drilling agencies;

(f) to carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(g) to co-ordinate with Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees and Municipal Water Management Committees as well as with the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

7. (1) The State Government shall, by notification in the Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an State Authority to be known as the Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority.

State Ground
Water
Management and
Regulatory
Authority

(2) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall consist of-

1	The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh	Chair-person
2	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Minor Irrigation and Ground Water Department, Government of Uttar Pradesh	Member
3	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh	Member
4	The Engineer-in-Chief, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh	Member
5	The Director, Agriculture Department, Uttar Pradesh	Member
6	The Director, Horticulture Department, Uttar Pradesh	Member
7	The Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board	Member
8	The Chief Town and Country Planner, Awas evam Shahri Niyojan Vibhag, Uttar Pradesh	Member
9	The Director, Awas Bandhu, Uttar Pradesh	Member
10	The Director, Local Bodies, Uttar Pradesh	Member
11	The Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam	Member
12	The Chief Engineer, Minor Irrigation Department, Uttar Pradesh	Member
13	The Director, Industries Department, Uttar Pradesh	Member
14	The Regional Director, Central Ground Water Board (NR)	Member
15	The Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Uttar Pradesh	Member

16.	Three Subject Experts (to be nominated by the State Government), having long standing working experience of ground water management in the State of Uttar Pradesh.	Member
17.	An eminent person from Public/Non-Government Organization/Social Sector working in the field of ground water	Member
18.	One representative (as invitee) each from the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee, Municipal Ground Water Management Committee and District Ground Water Management Council	Member

(3) The Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh shall be the Member Secretary of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(4) The term of office and the manner of filling the vacancies and other conditions of service of the Chairperson and other members shall be such as may be prescribed.

(5) The Chairperson shall be the principal executive officer of the State Ground Water Management and Regulatory Authority and the office of the Director, Ground Water Department shall work as the secretariat of the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(6) The functions of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall be,-

(a) to notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under section 9;

(b) to de-notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under section 12;

(c) to fix ground water abstraction limits as provided under section 15;

(d) to take ground water pollution control measures as provided under section 28.

(7) **Staff of the State Ground Water Management and Regulatory Authority,-**

(a) in order to enable the State Ground Water Management and Regulatory Authority to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government may appoint such number of technical personnel and other staff as it may consider necessary including all of institutional support, facilities and the budget;

(b) the functions, terms and conditions of service of such employees shall be such as may be prescribed;

(c) the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

(8) **Support for other Appropriate Bodies:-**

Provisions shall also be made for the staff and office including all institutional support and working facilities, budgetary requirements for the Gram Panchayat Sub-Committee/Block Panchayat/Municipal Committee and the District Council for smooth and proper functioning.

CHAPTER - III
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

8. (1) The Ground Water Department shall develop a mechanism to co-ordinate with the appropriate body such as Municipal Ground Water Management Committee in case of urban areas and Block Panchayat Ground Water Management Committee for rural areas through the District Ground Water Management Council.

Duties of Ground
Water Department

(2) The department shall work as Technical Secretariat for the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(3) **Identification of areas for the purpose of regulating ground water:** The Ground Water Department in consultation with State Ground Water Management and Regulatory Authority shall identify and delineate the areas, such as over-exploited and critical blocks categorized as per latest Ground Water Resource Estimation carried out by the Ground Water Department and Central Ground Water Board and the stressed Municipal/Urban areas (where significant decline of ground water levels, i.e., more than 20cm/year recorded during the last five years), for taking up appropriate measures for overall management and regulation of ground water in such areas, which are to be designated as Notified Areas for the purpose of the regulation through notification.

(4) **Ground Water Information/Data:** All the available ground water information/data regarding Over-exploited/Critical blocks and Stressed Urban areas shall be provided to the District Ground Water Management Councils as well as other Appropriate Authorities by the Divisional Data Centres of respective Field Divisions of Ground Water Department. Such information shall also be made available on-line through the website of the Ground Water Department.

CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS

9. (1) Where the State Ground Water Management and Regulatory Authority, after consultation with appropriate authorities (based on inputs from the Ground Water Department) is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to manage and regulate ground water for various purposes in any form in any area and to enforce rain water harvesting/ground water recharge and to implement various appropriate water conservation/water saving/water efficient practices in over-exploited/critical blocks and stressed urban areas (as identified and delineated by the Ground Water Department) where ground water levels have depleted to critical or alarming levels, it shall advise the State Government in such manner as may be prescribed to declare by notification such areas as Notified Areas for the purposes of this Act with effect from such date as may be specified in the notification :

Powers to notify
areas for
management and
regulation of
ground water
resources

Provided that-

(a) the date specified in the notification under this sub-section shall not be earlier than three months from the date of publication of the notification;

(b) every notification in Hindi as well as in English languages under this section shall, in addition to its publication in the Gazette, be published in not less than three daily regional newspapers having wide circulation in that region and also be served in such other manner as may be prescribed.

(2) The Procedure for Demarcation and issuance of notification of the areas referred in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The notification issued under sub-section (1) shall be reviewed periodically as per the new Ground Water Assessment Report and according to the findings of the report, shall be in such manner as may be prescribed.

Registration of
Users in Notified
Areas

10. (1) **Registration of existing commercial, industrial, infrastructural and bulk users of Ground Water:** Every existing well for commercial, industrial, infrastructural and bulk user located in Notified Areas (both urban and rural areas) shall apply to the respective District Ground Water Management Council for grant of a certificate of registration. The procedure, time limit, forms, fee etc. and other provisions for the grant of registration certificate shall be such as may be prescribed:

Provided that-

(a) where any existing Commercial user or Bulk user is found extracting ground water without registration, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall be liable to be punished under Chapter-VIII;

(b) where a registered well becomes defunct, the fact shall immediately be brought to the notice of the respective District Ground Water Management Council by the user of ground water;

(c) where any such user of ground water, having certificate of registration wants to carry-out any modification or alteration in a registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from the State Ground Water Management and Regulatory Authority in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future users of ground water, other than those mentioned in sub-section (1), including domestic and agriculture users of ground water shall register online or directly to the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee for ground water usages. The web-portal for online intimation shall be informed by the said committee.

Registration of
Existing
Commercial,
Industrial,
Infrastructural and
Bulk Users of
Ground Water in
Non-notified
Areas

11. (1) Every well (existing or to be sunk) for commercial, industrial, infrastructural and bulk use of ground water in non-notified areas shall apply to the respective District Ground Water Management Council for grant of a certificate of registration. The procedure, time limit, forms, fee etc. and other provisions for the grant of registration certificate shall be such as may be prescribed :

Provided that-

(a) if any Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water is found extracting ground water without registration, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall be liable to be punished under Chapter-VIII;

(b) if a registered well becomes defunct, this fact shall immediately be brought to the notice of the respective District Ground Water Management Council by the user of ground water;

(c) if any such user of ground water, having certificate of registration wants to carry-out any modification or alteration in a registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall have to obtain clearance for the same from the respective District Ground Water Management Council in such manner as may be prescribed.

(2) Every existing and future user of ground water, other than those mentioned in sub-section (1), including a domestic or an agriculture user of ground water shall register online or directly to the respective Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee for ground water usages. The web-portal for online intimation shall be informed by the said committee.

12. (1) No person or group of persons or institution or agency or establishment shall construct/sink any new well for Commercial, Industrial, Infrastructural and Bulk use including construction of borings/tube-wells under Government Schemes within the Notified areas, except Government schemes for drinking water supplies and tree plantations. If anyone contravenes the provisions of this sub-section, he or she will be liable for punishment under Chapter-VIII. Such ban shall continue till the area is de-notified by the State Government on advice of Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority on the basis of new Ground Water Resource Estimation Report or significant improvement in declining trend of urban ground water levels after seeking approval from the State Government.

Ban on new well construction in Notified Areas

(2) Extraction, sale and supply of raw/unprocessed/untreated ground water in Notified Areas by a person or class of persons or institution or agencies or any other establishment for the purpose of commercial/bulk uses will not be allowed and such an act will be punishable under Chapter-VIII.

13. For ensuring and achieving sustainability of ground water resources in the Notified areas, Ground Water Security Plans shall be prepared for systematic implementation in such manner as may be prescribed.

Preparation and implementation of Ground Water Security Plans in Notified Areas

14. Any person or class of persons or institution or agency or establishment desiring to sink a well for the purpose of abstraction of ground water for commercial, industrial, infrastructural or bulk use in the non-notified area shall apply to the respective District Ground Water Management Council for No-Objection Certificate for this purpose. The procedure, time limit, forms, application, fee etc. and various provisions, terms and conditions for the No-objection certificate shall be such as may be prescribed:

Grant of Authorization for Ground Water abstraction in Non-notified Areas

Provided that the pre existing user of ground water shall apply for the issue of authorization certificate therefore under this section within a period of ninety days from the date of commencement of this Act :

Provided further that-

(a) the terms and conditions shall include but are not restricted to,-

- i-the maximum quantity of water that shall be allowed for extraction;
- ii-precautions to prevent any contamination of ground water by mandating existing pollution control standards and measures;
- iii-details of conservation measures, including rainwater harvesting, to be taken;
- iv-groundwater recharging measures as per the hydrogeological feasibility;
- v-recycling of a prescribed proportion of the extracted groundwater for the use;
- vi-treating wastewater to bring it to prescribed standards before it is discharged;
- vii-adopting and practising the most efficient water use practices and technology;

(b) the authorisation/No-objection granted for a specified purpose shall not be used for any purpose other than that for which it has been granted;

(c) the holder of authorization certificate/No-objection certificate shall be prohibited from selling, by whatever name or form, ground water extracted under the authorisation to someone else for commercial use and/or gain;

(d) such new users after getting authorization /No-objection certificate for abstraction and use of ground water for desired purpose shall ensure that they shall have to obtain certificate of registration from the respective District Ground Water Management Council after the construction of the well is completed in such manner as may be prescribed;

(e) (i) District Ground Water Management Council may cancel the authorization/No-objection certificate in case of non-compliance of the terms and conditions of the authorization/No-objection certificate:

Provided that the District Ground Water Management Council concerned shall give the holder of authorization certificate/No-objection certificate an opportunity of being heard before cancelling such certificate;

(ii) Authorization certificate/ No-objection certificate issued under this section shall be in alienable. However, such certificate, granted to an individual, shall be inherited by his or her legal heirs and shall continue to be valid for the remaining period as long as the legal heirs continue the activities done by the deceased holder of such certificate. However, on transfer of the property for the benefit for which such certificate was granted, the authorization certificate/ No-objection certificate shall continue to be valid so long as the nature of the activity continues unaltered by the new owner;

(iii) The authorization certificate/ No-objection certificate shall be valid for such period as fixed in the certificate;

(iv) Where the validity of the authorization certificate/ No-objection certificate has expired, the holder of such certificate shall apply afresh for continuation thereof.

Fixing of limit
for abstraction of
Ground Water for
Commercial,
Industrial,
Infrastructural or
Bulk users of
ground water

15. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority in consultation with the Ground Water Department (depending upon the hydrogeological conditions and resource potential of the area concerned) shall fix the ground water abstraction limit for the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water while issuing registration for well in Notified as well as Non-notified areas and for, all the new Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water in Non-notified areas, while issuing registration or authorization certificate/ No-objection certificate for well, in such terms and conditions as may be prescribed.

(2) No person can withdraw ground water in contravention of the limit fixed under sub section (1).

Fee on Ground
Water
extraction/drawl

16. (1) No commercial, industrial, infrastructural or bulk user of ground water herein after in this section refer to as the said user, shall extract ground water in both the notified and non-notified areas without payment of fee to be charged annually on the basis of quantity of ground water drawl. The fee shall be deposited in such manner as may be prescribed.

(2) The fee referred to in sub section (1) shall be in addition to water cess charged under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

(3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix meters of such standards and at such places as may be prescribed and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. An annual ground water audit shall be conducted to check the actual extracted water against quantity of ground water allowed/authorized for extraction.

17. (1) No person including firm, agency or company shall perform or engage in drilling the ground for extraction of ground water without registration with District Ground Water Management Council concerned. Registration of drilling agencies
- (2) Every person, firm, agency or company already engaged in drilling of ground for extraction of ground water shall apply for the registration with the District Ground Water Management Council within such period as may be required by the said Council.
18. The power of every Appropriate Authority for any ground water user and drilling agencies in notified and non-notified areas shall be such as may be prescribed. Powers of the Authority in Notified and Non-notified areas for any user of Ground Water
19. Every order or direction issued under section 14 shall be served in such manner as may be prescribed. Service of orders, etc.
20. No person shall be entitled to claim any damages or compensation from the State Government or any appropriate authority for any loss sustained by him by virtue of any action taken under this Act. Bar to claim compensation
21. The State Ground Water Management and Regulatory Authority may, by general or special order in writing, direct that all or any of the powers or duties which may be exercised or discharged by it shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in its order be exercised or discharged also by any person, appropriate body, specified in this behalf in the order issued after approval of State Government. Delegation of powers and duties
22. All employees of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Employees of the Authority to be Public Servants
23. No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted against the State Government, any Appropriate Authority, any other officer of the Government or any member or other employees of any Appropriate Authority for anything done or intended to be done in good faith under this Act, or the rules made there under. Protection against action taken in good faith

CHAPTER-V

PREVENTION OF GROUND WATER POLLUTION

24. (1) The Ground Water Department shall identify and demarcate (vertically and laterally), in consultation with the State Ground Water Management and Regulatory Authority, District Ground Water Management Councils and the expert bodies such as Central Ground Water Board, Uttar Pradesh Jal Nigam and Uttar Pradesh Pollution Control Board such areas which are found affected with ground water quality and pollution hazards for the purpose of prevention and control of ground water pollution in such areas and also to find safe quality zones for potable water supplies. Demarcation and protection of Ground Water quality sensitive zones
- (2) Such areas, as are demarcated in sub-section (1), shall be declared as Ground Water Quality Sensitive Zones by notification by the State Government in Ground Water Department every two years for the purpose of prevention and protection of ground water pollution.
25. The Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees and Municipal Ground Water Management Committees shall be responsible for collecting information related to ground water pollution including sources of pollution. Such information shall be compiled and consolidated at the level of respective District Ground Water Management Councils for onward submission to State Ground Water Management and Regulatory Authority for appropriate action. Collection of information related to Ground Water pollution/contamination

Ground Water
Pollution control
measures

26. (1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural and bulk user pollute ground water. It shall ensure through respective District Ground Water Management Council to make installation of treatment plant mandatory wherever necessary in such manner as may be prescribed.

(2) Where such user of ground water referred to in sub-section-(1) fails to set up treatment plant within the prescribed period, the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall have the right to get the necessary treatment plant constructed at such user's cost and proceed against such user under the provisions of sub-section (2) of section 39.

Prohibition on use of
well for disposal of
polluting matter etc.
into the Aquifers

27. (1) No commercial, industrial, infrastructural and bulk user by operation or process or any treatment and disposal system shall,-

(a) discharge or dispose waste water, sewage, trade and domestic effluent or contaminants into the well, or ;

(b) dump waste on the land which may lead to leaching or percolation of contaminants, toxins into the aquifer.

(2) Any user of ground water who contravenes the provision of sub-section (1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

Ban on direct
recharging from
open areas into the
aquifers

28. (1) In the process of Artificial Recharge to Ground Water from rain water (except from rooftop) falling on open land, ground, roads (paved/unpaved), agricultural farms shall not be allowed for direct recharging into the aquifers through recharge well, bore well, recharge shaft, injection well etc.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

Prohibition on
polluting of ponds,
rivers, wells, etc.

29. (1) The Appropriate Authorities shall ensure that no commercial, industrial, infrastructural and bulk user pollute ponds, rivers, wells, etc. by disposing or discharging of dirty water or any other polluting matter.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section-(1) shall be liable to be punished under sub-section (2) of section 39.

(3) The Appropriate Authorities shall take all measures to ensure that any waste from domestic household does not pollute ponds, rivers, wells, etc.

CHAPTER - VI

SELF REGULATION, RAIN WATER HARVESTING, GROUND WATER RECHARGE, RECYCLING AND REUSE, PREVENTION OF WATER LOGGING

Self regulation

30. (1) The farmers of Notified Areas (Rural) shall be encouraged by the respective Gram Panchayat Ground Water Sub-Committees, Block Panchayat Ground Water Management Committees for adopting the process of self regulation.

(2) **Process for adopting self regulation:** The process of self regulation shall be adopted in the following manner in order to protect, conserve and regulate ground water resources in the stressed areas,-

(a) the farmers shall ensure that by applying desired quantity of irrigation water/number of watering to the crops as per the requirement of watering scientifically recommended for different crops that the wastage of ground water and over irrigation is avoided;

(b) the farmers of Notified Areas (Rural) shall be encouraged to adopt various water conservation/water saving practices including farm bunding, farm ponds, use of seeds of low water crops and use of drip and sprinkler irrigation system;

(c) every user of ground water in both rural and urban areas shall be encouraged to extract and use ground water in an economical and efficient way, avoid waste of water, use give priority to recycled water, adopting of rain water harvesting and recharging methods.

31. (1) The Appropriate Authorities shall encourage rainwater harvesting and catchment conservation as per geological conditions which should be integral part of Water Security Plans. The Appropriate Authorities shall sensitise different users of ground water about the suitable technologies of rainwater harvesting systems in stressed urban and rural areas. Users of ground water may obtain suitable technical drawing and design of Rain Water Harvesting System from the Appropriate Authorities. They shall undertake all possible steps in integrated natural resources conservation, use and regulation for the augmentation of groundwater resources within its jurisdiction, through integration and convergence of all natural resources relating to developmental schemes and projects.

Rain water harvesting, Ground Water recharge and catchment conservation

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law of the State for the time being in force, the Municipal Water Management Committee shall impose stipulated conditions under existing building by-laws for providing rooftop rainwater harvesting structures, duly issued by the State Government by notification. Such stipulations shall be binding on concerned Government agencies sanctioning or approving building plans. The provision of Combined Recharge System for group housing/colonies shall also be made mandatory under building by-laws.

(3) Catchment conservation shall include appropriate groundwater conservation and recharge structures depending on the nature of the terrain/soil condition/geology of the area.

32. The Appropriate Authorities shall within their areas encourage recycling and, in particular, foster re-use of water for non-potable urban, industrial, and agricultural use, as well as augmentation of potable water supplies through indirect reuse :

Recycling and re-use of Ground Water

Provided that-;

commercial, industrial, infrastructural and bulk user withdrawing ground water above a determined threshold limit shall be mandated to recycle water for purposes as may be suitable. Appropriate Authorities shall design monitoring and incentive mechanisms to enforce such mandates.

33. (1) The Appropriate Authorities shall within their areas discourages and prevents such activities that are likely to lead to potential water logging of land. Such bodies shall undertake all possible regulatory measures, for the protection of land against water logging.

Prevention and mitigation of water logging

(2) In canal commands, the Irrigation Department shall take appropriate measures and make provisions, to effectively improve sub-surface water logged conditions.

(3) The Gram Panchayat Ground Water Sub-Committee, Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, may impose such stipulated conditions, as may be prescribed, for regulating such activities in waterlogged areas that may lead to worsening of the water logging condition. The Block Panchayat Ground Water Management Committee/Municipal Water Management Committee, in consultation with the District Ground Water Management Councils and concerned departments, shall take steps to mitigate water logging through proper interventions.

(4) Water logging mitigation measures shall be adopted by using appropriate processes and technologies, in due consultation with expert bodies/ concerned departments.

Revival and Rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc.

34. The Appropriate Authorities shall work for revival and rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc. in every village. Appropriate Authorities shall develop and execute efficient plans to conserve such rivers, ponds, wells, etc.

CHAPTER-VII

IMPACT ASSESSMENT AND TRANSPARENCY

Impact Assessment

35. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities to undertake impact assessment of both social and environment aspects of such activities to be implemented in the area of their jurisdiction in accordance to the provisions of this Act.

(2) The process of impact assessment shall include short-term and cumulative impact assessment, may be in the following fields and specifically:-

- (a) Impact on right to water for life;
- (b) Impact on drinking water sources;
- (c) Impact on quality and quantity of groundwater;
- (d) Impact on agricultural production;
- (e) Impact on the ecosystem including rivers and water bodies;
- (f) Impact on land use.

Transparency Systems

36. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities in the area of their jurisdiction to create an effective and citizen-friendly transparency.

(2) The minimum content, periodicity, and other details of the information to be put out proactively.

(3) All requests for information within a district shall be fulfilled within reasonable period.

Duties of proactive disclosure

37. (1) The Appropriate Authorities with respect to the area of their jurisdiction shall proactively disclose information;

(2) It shall be the duty of the appropriate body to disseminate the records in such a manner that any person can understand the information easily. This obligation shall also include the dissemination of information in a consolidated and summarized form.

Information to be kept in Public Domain

38. Information on the Impact Assessment of such activities taken up under this Act in section 35 shall be placed on internet for access by public.

CHAPTER-VIII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and penalties

39. (1) If any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of groundwater or any drilling agency,-

(a) contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act or any rule made there under except provisions described under chapter-V; or

(b) obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorized by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than two lakh rupees which may extend up to five lakh rupees or imprisonment which shall not be less than six month and which may extend to one year or with both, in case of first offence.

(c) repeats the offence after conviction thereof under sub-clause (b), such user shall be deemed to be guilty of second offence and shall be punished with fine which shall be double the amount of fine awarded to him or her, in addition to imprisonment awarded to him or her under the said sub-clause. Besides, the authorisation/no-objection certificate granted to him under this Act shall be cancelled with immediate effect.

(2) Any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of ground water who contravenes any of the provisions provided under sub-section (2) of section 26, section 27, section 28 and section 29, shall be liable for punishment, -

(a) with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to three years with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees, in case of first offence;

(b) with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years with fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to twenty lakh rupees, if the offence is committed by a person who has previously been convicted for the offence referred to in clause (a).

(3) Any supplier of water (other than Government drinking water supply schemes) who supplies or causes to be supplied groundwater which fails to meet the quality standard prescribed under any law for the time being in force shall be punished with fine which shall not be less than two lakh rupees and which may extend to five lakh rupees.

(4) Whoever being an owner of a building liable for installation of a system for harvesting rainwater to recharge groundwater as per the sanctioned drawing, design and guidelines issued by any of the Development Authority or any other authority having power to sanction drawing, fails to do so, shall be punished in such manner and with such punishment as may be prescribed.

40. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time of the commission of offence was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence;

Offences
by Companies

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence;

EXPLANATION : For the purpose of this section—

(1) "Company" means anybody corporate and includes a firm or other association or individuals; and

(2) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

41. (1) An offence punishable under sub clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 39 may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution by such officers as may be notified by the State Government after imposing fifty per cent of minimum fine prescribed for the offence as compounding fee along with the minimum prescribed fine :

Compounding of
offences

Provided that the remedy for compounding shall be available for the first offence only.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

Cognizance of offences

42. (1) Offences under this Act shall be cognizable and triable by a judicial magistrate of first class.

(2) The magistrate may take cognizance of the offence on a complaint filed by the District Ground Water Management Council or by any aggrieved person :

Provided that—

before initiating the prosecution, the aggrieved person shall give one-month's notice to the District Ground Water Management Council intimating her or his intention to initiate prosecution.

CHAPTER -IX

GRIEVANCE REDRESSAL

Ground Water Grievance Redressal Officer

43. (1) The District Magistrate of each district of Uttar Pradesh shall act as District Ground Water Grievance Redressal Officer.

(2) Any person may submit his or her grievance on issues related to management, conservation, abstraction and pollution of ground water to the District Ground Water Grievance Redressal Officer.

(3) Any person aggrieved by the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer may submit his or her grievance to State Ground Water Management and Regulation Authority.

Jurisdiction and powers of Ground Water Grievance Redressal Officer

44. (1) The District Ground Water Grievance Redressal Officer shall have jurisdiction over all grievance mentioned in sub-section (2) of section 43, within his territorial jurisdiction.

(2) The grievances shall be submitted to District Groundwater Grievance Redressal Officer in such manner as may be prescribed.

(3) The District Groundwater Grievance Redressal Officer shall take appropriate action through respective Gram Panchayat Ground Water Sub Committee/ Block Panchayat Ground Water Management Committee/ Municipal Water Management Committee or District Ground Water Management Council, as the case may be, after submission of grievance at any subsequent time, not exceeding thirty days.

CHAPTER -X

MISCELLANEOUS

Power of the appropriate authorities to call for information

45. The State Ground Water Management and Regulatory Authority and the District Ground Water Management Councils shall have the power to call for any information from any department of the State Government or any other person, which is required by it in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Act or the rules, regulations and bye-laws made there under, and such department or person shall be bound to furnish such information.

Powers of the appropriate authorities to remove wells dug in contravention of the Act

46. (1) The District Ground Water Management Council, subject to the provision of this Act, may require any Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water and any existing agency, who has sunk or is sinking a well or who has extracted or is extracting water in contravention of any of the provisions of this Act, by notice in writing to stop such extraction within the time specified in the notice, being not less than fifteen days, and require the owner or the person in possession of the well to close or seal off the well at his expense and in such manner as it may specify in such order;

(2) If the person on whom a notice under sub-section (1) has been served does not stop such extraction or stop such extraction but does not close or seal off the well to the satisfaction of the appropriate authority within the time specified in the notice, the council (concerned) may enter the land and close or seal off the well.

(3) The cost incurred by the council (concerned) under sub-section (2) shall be recoverable as an arrear of land revenue from the person on whom a notice under sub-section (1) has been served.

47. (1) Pre-existing rights of a user of ground water will continue to be valid for a period of one year from the date of commencement of this Act, after which the rights and entitlements shall be in accordance with the provisions of this Act. Pre-existing rights

(2) The user of ground water shall not be entitled for any compensation for any legal or other rights that become extinguished under this Act.

48. The State Government shall create a fund to be known as Ground Water Fund and all the receipts on account of penalties, registration fees, fee on ground water extraction etc. shall be credited to this fund. The fund shall be operated by the Director, Ground Water Department. The fund shall be utilized for ground water management activities in the State such as conservation of ground water, both through demand side and supply side management for encouraging demand side interventions and for increasing efficiency of ground water usage by effective monitoring devices/mechanisms, decided by the State Government and Ground Water Department. Ground Water Fund

49. The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act. Power of the State Government to make Rules

50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty: Power to remove difficulties

Provided that, no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before both houses of the state Legislature.

51. In the interest of overall development of the State, the State Government on recommendation of the State Ground Water Management and Regulatory Authority may exempt any user or class of users or case from any provision of this Act. Powers of the State Government to exempt any user/ cases

52. Notwithstanding anything contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail. Effect of this Act on other Laws

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Ground Water is the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses. It is the backbone of drinking water, food and livelihood in rural and urban areas. It has been brought to the notice of State Government that uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in several areas of the state. In order to deal with the situation of serious groundwater crisis and groundwater contamination in the state, it has been decided to make a law to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas.

This Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 192 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(571)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 69 सा० विधायी-2019-(572)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 350/79-वि-1-21-1-क-41-20

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन)
अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 13 सन् 2019
की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(क) यथास्थिति-अध्यक्ष, नगर प्रमुख/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण;

(ख) यथास्थिति सदस्य-सचिव नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाली अधिकारी, नगरपालिका परिषद/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण;”

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 13 सन् 2019
की धारा 6 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) सदस्य सचिव-मुख्य विकास अधिकारी;”

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 13 सन् 2019
की धारा 41 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 41 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1) धारा 39 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन ऐसे अधिकारियों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिये विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात् किया जा सकता है:

परन्तु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।”

उद्देश्य और कारण

राज्य के विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका जल प्रबंधन समिति और जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद के गठन में कतिपय परिवर्तन किया जाना आवश्यक समझा

गया, जिससे कि नगर प्रमुख/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष, नगरपालिका जल प्रबंधन समिति के रूप में और नगर आयुक्त, नगर निगम, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण को सदस्य सचिव, नगर पालिका जल प्रबंधन समिति के रूप में सम्मिलित किया जा सके और मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य सचिव, जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद के रूप में सम्मिलित किया जा सके। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5, 6 और 41 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 350(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-41-20

Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoo-Garbh Jal (Prabandhan Aur viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 1, 2021. The Namaami Gange Tatha Grameen Jalapoorti Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam:

THE UTTAR PRADESH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION)
(AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 7 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) (Amendment) Act, 2021. Short title
2. In section 5 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (2) for clauses (a) and (b) the following clauses shall be substituted, namely :- Amendment of section 5 of U. P. Act no. 13 of 2019.

"(a) the Chairperson-Nagar Pramukh/Chairperson, Nagar Palika Parishad/Chairperson, Nagar Panchayat, Chief Executive Officer, NOIDA Development Authority/Chief Executive Officer, Greater Noida Development Authority/Chief Executive Officer, Yamuna Expressway Authority, as the case may be;

(b) the Member Secretary-Nagar Ayukt, Nagar Nigam/Executive Officer, Nagar Palika Parishad/Executive Officer, Nagar Panchayat/Additional Chief Executive Officer, NOIDA Development Authority/Additional Chief Executive Officer, Greater Noida Development Authority/Chief Executive Officer, Yamuna Expressway Authority, as the case may be;"

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 13 of 2019

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) the Member Secretary-Chief Development Officer;"

Amendment of section 41 of U.P. Act no. 13 of 2019

4. In section 41 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(1) An offence punishable under clause (b) of sub-section (1) of section 39 may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution by such officers as may be notified by the State Government after imposing fifty per cent of minimum fine prescribed for the offence as compounding fee along with the minimum prescribed fine:

Provided that the remedy for compounding shall be available for the first offence only."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) was enacted to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management in the State, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas, and for matters connected therewith or incidental thereto. To ensure effective implementation of the aforesaid Act it is felt necessary to make certain changes in the composition of the Municipal Water Management Committee and the District Ground Water Management Council, so as to include Nagar Pramukh/Chairperson of Nagar Palika Parishad, Chairperson of Nagar Panchayat, Chief Executive Officer of NOIDA Development Authority/Greater Noida Development Authority/Yamuna Expressway Development Authority as the Chairperson of Municipal Water Management Committee, and Nagar Ayukt of Nagar Nigam, Executive Officer of Nagar Palika Parishad, Executive Officer of Nagar Panchayat, Additional Chief Executive Officer of NOIDA Development Authority/Greater Noida Development Authority/Yamuna Expressway Development Authority as the Member-Secretary of Municipal Water Management Committee, and to include Chief Development Officer as the Member-Secretary of District Ground Water Management Council. In view of the above, it has been decided to amend sections 5, 6 and 41 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 779 राजपत्र-2021-(1654)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 260 सा० विधायी-2021-(1655)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।